



न्यायालय:- राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

R 408-III/07 प्रक० /07 निगरानी

कामता सिंह पुत्र रणमत सिंह  
निवासी ग्राम तेदुआ उन्मूलन  
तह० सिरमौर जिला रीवा म० प्र०  
-आवेदक

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर  
द्वारा आज दिनांक १३/०७/०७ को प्रस्तुत।  
13/07

विरुद्ध  
इन्द्रभानु पटेल पुत्र ~~राम~~ पटेल  
निवासी ग्राम तेदुआ कोठारी  
तह० सिरमौर जिला रीवा म० प्र०  
-अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महो० रीवा सम्भाग रीवा के प्रक०-276/निगरानी/06-07, में पारित आदेश दिनांक 01-02-07 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 के अधीन प्रस्तुत।

(S. P. ...)  
1. 3.07.07

माननीय न्यायालय,  
आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है:-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 1-02-07 विधि, प्रक्रिया एवं तथ्यों के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ द्वारा दिनांक 6-7-2000 को सीमान्कन का जो आदेश पारित किया गया था, वह आदेश मनमानी तौर पर बिना सही नक्शे के किया गया था, जिस नक्शे के आधार पर सीमान्कन किया गया था, उस नक्शे के सुधार के विरुद्ध आवेदक द्वारा एक निगरानी दायर की गयी थी, जो आज भी अपर जिलाध्यक्ष रीवा के न्यायालय में लंबित है। इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अपर जिलाध्यक्ष महोदय की जानकारी में यह बात लायी गयी थी कि जिस नक्शे के आधार पर सीमान्कन किया गया है, उस नक्शे के सुधार के विरुद्ध निगरानी न्यायालय में लंबित है, लिहाजा सीमान्कन की निगरानी में तब तक आदेश पारित नहीं किया जाय, जब तक नक्शे के संबंध में दायर निगरानी का निराकरण नहीं हो जाता, ऐसी जानकारी

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक निग0 408-तीन/07

जिला-रीवा


स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-12-16	<p>आवेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 276/निग0/06-07 में पारित आदेश दिनांक 01.02.07 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।</p> <p>3/ प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। आवेदक ने अपने तर्क में कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया है। नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ द्वारा दिनांक 06.07.2000 को सीमांकन का जो आदेश पारित किया गया था, वह आदेश मनमानी तौर पर बिना सही नक्शे के किया गया था, जिस नक्शे के आधार पर सीमांकन किया गया था, उस नक्शे के सुधार के विरुद्ध जिलाध्यक्ष रीवा के न्यायालय में लंबित है। आवेदक को आदेश दिनांक 23.10.06 की जानकारी भी दिनांक 11.01.07 को हुई, जब वह अपने उक्त निगरानी की</p>	

पेशी जानने अपर जिलाध्यक्ष के न्यायालय में उपस्थित हुआ, तो उसे बताया गया कि साहब के बंगले से दिनांक 03.01.07 को फाइल वापस आई है, जिसमें दिनांक 23.10.06 को आदेश पारित करना लेख है। इस तरह नक्शे की वैधानिकता की अनदेखी कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसकी जांच की जाकर तदानुसार कार्यवाही, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुये अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। इस तरह का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.02.2007 का भलीभांती परिशीलन किया, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने दिनांक 23.10.2006 के आदेश की जानकारी दिनांक 11.01.2007 को होना बताया है तथा प्रतिलिपि दिनांक 13.01.07 को प्राप्त होना तथा दिनांक 18.01.07 को निगरानी प्रस्तुत होना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष दिनांक 18.01.07 को निगरानी प्रस्तुत न कर दिनांक 19.01.07 को प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी उसे दिनांक 11.01.07 के किस प्रकार हुई, इसका कोई स्वीकारण नहीं दिया गया है, जबकि उसे प्रत्येक दिन स्पष्टीकरण देना अनिवार्य है। अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र मनगढ़ंत व काल्पनिक है। इसी कारणवश अपर आयुक्त रीवा ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी समयबाधित होने के से ग्राह्यता के बिन्दु पर आदेश दिया है।

M

5/ उपरोक्त स्थिति को धृष्टिगत रखते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी रिपोर्ट किया जाता है एवं अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पाठित आदेश दिनांक 01.02.07 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

  
(एस०एस०अली)  
सदस्य

M